न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक) डीग

प्रकरण संख्याः– 251/2009 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2009/00017), पीठासीन अधिकारीः– श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

भीम सिंह पुत्र जगराम जाति फौजदार नि0 ग्राम दांतलौठी तहसील व जिला डीग(राज0)

–वादी

बनाम

1. बदन सिंह पुत्र जगराम जाति फौजदार नि0 ग्राम दांतलौठी तहसील डीग

–असल प्रति0

2. मान सिंह पुत्र जगराम –मृतक

2/1. प्रेमसिंह } पिस0 मान सिंह

2/2. जोगेन्द्र } पिस0 मान सिंह

2/3. हरमुखी वेवा मानसिंह – मृतक

} जातियान फौजदार नि0 दांतलौठी तहसील डीग

2/4. विमलेश पुत्री मान सिंह पत्नी राजू जाति जाट नि0 कान्हा लक्ष्मीनगर,जनता नर्सिंग होम मथुरा (उ.प्र.)

2/5. सुनीता पुत्री मान सिंह पत्नी गजेन्द्र सिंह जाति जाट नि0 ग्राम हंतरा तहसील नदबई,भरतपुर

–तरतीवी प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट,

निर्णय दिनांकः 14.02.2025

वादी द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बर 2530/1.08, 2451/2.75 व 2452/1.69, वाके ग्राम जाटौलीथून तहसील डीग में स्थित है। वादी तथा प्रति0 संख्या 1 व 2 आपस में खास भाई है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 2530/1.08 सालिम तथा खसरा नम्बर 2451/2.75, 2452/1.68 के हिस्सा 1/15 दर हि0 1/5 पक्षकारान मुकदमा के पिता श्री जगराम ने करीव 35 साल पूर्व अपनी जीवित अवस्था में ही उक्त विवादित आराजी व समूल दीगर आराजी का वादी तथा प्रति0 संख्या 1 व 2 तीनों भाईयों के मध्य कोई विवाद भविष्य में नहीं हो इसलिए आपस में बंटवारा कर दिया और इस वाहमी बंटवारे में उक्त विवादित आराजी का हि0 2/3 वादी के हि0 व बट में व शमूल दीगर आराजी रहा तथा उक्त विवादित आराजी का हि0 1/3 व शमूल दीगर आराजी तरतीवी प्रति0 संख्या 2 के हि0 व बट में रहा और तभी से विवादित आराजी के 2/3 हिस्से पर वादी बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है तथा इस वक्त मौके पर भी है तथा हि0 1/3 पर तरतीवी संख्या 1 का कोई कब्जा विवादित आराजी के किसी हिस्से पर नहीं रहा है और ना ही इस वक्त मौके पर प्रति0 संख्या 1 का विवादित आराजी के किसी हिस्से पर कोई कब्जा काश्त किसी प्रकार से है। मुताविक कानून वादी विवादित आराजी के सम्बन्ध में उपरोक्त हकूक खातेदारी प्राप्त कर

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

लिये है। ऐसे में वादी उक्त विवादित आराजी के हिस्सा 2/3 का खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 2530/1.08 के हिस्सा 2/3 तथा आराजी खसरा नम्बर 2451/2.75, 2452/1.68, के हिस्सा 1/15 दर हिस्सा 1/5 के हिस्सा 2/3 का वादी खातेदार काश्तकार है पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रति0 संख्या 1 के नाम चल रहे इन्द्राजात को कलमजन किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 19.11.2009 को प्रति0 संख्या 1 की ओर से इकबाल दावा पेश किया गया। जिसमें वर्णित है कि मुझ प्रतिवादी को दावा वादी में कोई ऐतराज नहीं है और दावा वादी को डिक्री किये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक 04.08.2011 को प्रति0 संख्या 2 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया। जबाव दावे में वादी द्वारा दावा गलत तथ्यों के आधार पर पेश करना बताया। पिता जगराम द्वारा कभी भी कोई बंटवारा नहीं किया है। वादी द्वारा दावे में गलत तथ्य दर्ज किये है। आज भी मौके पर वादी 1/3 व प्रति0 संख्या 1 हिस्सा 1/3 व प्रति0 संख्या 2 हिस्सा 1/3 पर काबिज रहकर मौके पर काबिज काश्त है। वादी ने मुझ प्रति0 के भाई यानि कि प्रति0 संख्या 1 बदन सिंह के हिस्से की आराजी को हडपने के लिए यह दावा पेश किया है। जबकि प्रति0 संख्या 1 की संतान व पत्नी है। प्रति0 संख्या 1 अक्सर शराव व जुआ खेलता है और शराव का आदि है और वादी प्रति0 संख्या 1 की इसी नशे की आदत के कारण उसके हिस्से को हडपने के उद्वेश्य से यह दावा पेश किया गया है। जबकि आराजी मुत0 पैत्रिक व पुश्तैनी आराजी है और वादी प्रति0 के हिस्से व उसके बच्चों के हिस्से को मारने के उद्वेश्य से यह दावा पेश किया है। जो हर सूरत में काबिले खारिजी के है।

दिनांक 22.12.2011 को दावे में तनकीयात कायम की गईः–

3. आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 2530/1.08 सालिम तथा खसरा नम्बर 2451/2.75, 2452/1.68 के हिस्से 1/15 दर हि0 1/5 के हि0 2/3 पर वादी संख्या 1 का तथा हि0 1/3 पर तरतीवी प्रति0 संख्या 2 का कब्जा बतौर खातेदार चला आ रहा है और वादी अपने आपको उक्त विवादित आराजी के हि0 2/3 का खातेदार काश्तकार करा पाने का अधिकारी है।
4. दादरसी?

दिनांक 23.07.2012,को पीडब्ल्यू–1,भीम सिंह पुत्र जगराम, दिनांक 05.07.2013को पीडब्ल्यू–2 मिहीलाल पुत्र छिद्वा के बयान कराये गये। दिनांक 03.2014 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा.दी. प्रति. संख्या 2 के मृत हो जाने पर पेश किया। दिनांक 18.08.2015 को आदेश 22 नियम 4 जा. दी. स्वीकार किया जाकर वकील वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया। प्रति0 संख्या 2/2 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रति0 संख्या 2/3 हरमुखी के फौत होने पर वादी द्वारा आदेश 22 नियम 4 जा.दी. दिनांक 08.11.2017 को पेश किया व स्वीकार किया गया। दिनांक 19.03.2024को प्रति0 प्रति0 संख्या 2/4 व 2/5 की ओर से मुकेश कुमार अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 27.06.2024 को डीडब्ल्यू–1, जोगेन्द्र पुत्र मान सिंह के बयान कराये गये। दिनांक 16.12.2024 को उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दिनांक 27.01.2025 को मजीद बहस सुनी गई।

वकील वादी ने बहस में कथन किया कि भीम सिंह प्रति0 संख्या 1 का भाई है। दूसरा भाई मान सिंह की मृत्यु के बाद उनके वारिसान पक्षकार है। विवादित खसरा नम्बर हमारे पिता जगराम की खातेदारी के है। जगराम पिता ने तीनों भाईयों में जमीन का बंटवारा कर दिया। इन तीनों खसरा नम्बर का 2/3 हिस्सा वादी के व 1/3 हिस्सा मान सिंह के हिस्से में आया। बदन सिंह का जो हिस्सा है वह मेरा हिस्सा है। उसे मेरे पिता ने दिया था। हमारे मुकदमे को बदन सिंह प्रति0 ने स्वीकार कर राजीनामा दे दिया है, प्रति0 संख्या 2 है उसका हिस्सा 1/3 उसके नाम है। हमने मान सिंह को भाई होने के कारण प्रति0 पक्षकार बनाया है। जिस प्रति0 से हमने रिलीफ चाहा है उसने राजीनामा दे दिया है। बदन सिंह के नाम जो आराजी है उसे मेरे नाम घोषित किया जावे।

वकील प्रति0 ने बहस में कथन किया कि जगराम के तीन पुत्र थे। ये जायदाद जगराम से प्राप्त हुई है। जगराम दिनांक 12.06.1995 को फौत हो हुए थे। उसके वाद तीन भाईयों के नाम बदस्तूर चली आ रही है। प्रति0 संख्या 1 के बच्चे भी शादीशुदा है। ये शराव पीता है और जुआ खेलता है। इसके वारिसान इसका हक मिले। पैत्रिक जायदाद के तीन हिस्से है। ये दावा प्रति0 संख्या 1 के बच्चों के अधिकारों के हक के लिए किया गया है। दावा गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। दावा खारिज फरमाया जावे।

रिवीटल में वकील वादी ने कथन किया कि आपके रिकार्ड में जमीन खातेदारी में दर्ज है। वकील प्रति0 ने जो कहा है शराव पीता है इसका कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। ये रिकार्ड पर नहीं है। इससे टीनेन्सी एक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पडता है प्रति0 संख्या 1 अपना 1/3 हिस्सा इन्द्रपाल दावा पेश कर मुझे दे चुका है। मेरा दावा डिक्री किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी सम्बत 2063 से 2066 में खसरा नम्बर 2530 भीम सिंह,बदन सिंह,मान सिंह पिस0 जगराम बाहिस्सा बरावर दर्ज है। खसरा नम्बर 2451 व खसरा नम्बर 2452 में भीम सिंह,बदन सिंह,मान सिंह पिस0 जगराम हि0 1/15 दर हि0 1/5 दर्ज है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। गवाह पीडब्ल्यू–1 तथा पीडब्ल्यू–2 व डीडब्ल्यू–1 के बयानों का अवलोकन किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कौटुम्बिक समझौते के सम्बन्ध में काले और अन्य चकबन्दी उपनिदेशक(1977) 1 उम.नि.प. 30. एआईआर 1976 सु.को. 807(1976) 3 सु.को. 119 कौटुम्बिक समझौता,मौखिक भी हो सकता है कौटुम्बिक समझौता सदभाविक होना चाहिए जिससे कि कुटुम्ब के विभिन्न सदस्यों के बीच होना चाहिए जिससे कि कुटुम्ब के विभिन्न सदस्यों के बीच सम्पत्तियों के उचित और साम्यापूर्ण विभाजन द्वारा कौटुम्बिक विवादों और विरोधी दावों को सुलझाया जा सके। समझौता अवश्य ही स्वैच्छिक होना चाहिए और कपट प्रपीडन या असम्यक असर द्वारा उत्प्रेरित नहीं कराया जाना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
डांग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों द्वारा की गई व्यवस्था उनके लिए जिनका एक पूर्वज है। या एक दूसरे का निकट सम्बन्धी है। परिवार में शांति और समन्वय लाने के लिए इसे मान्यता दी जानी चाहिए और प्रभावी करना चाहिए।

वादी एवं प्रति0 संख्या 1 व 2 सगे भाई है एक ही पूर्वज पिता जगराम की संताना है। प्रति0 संख्या 1 बदन सिंह ने अपने इकबाल दावे में वादी के कथनों को स्वीकार किया है। सी.पी.सी. के आदेश 12 नियम 1 के तहत इकबाल दावा पेश किया गया है। सी.पी.सी.आदेश 12 नियम 6(1) के तहत स्वीकृतियों के आधार पर निर्णय जहां अभिकथन में यहां अन्यथा चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप में तथ्य की स्वीकृतियां की जा चुकी है। वहां न्यायालय वाद के किसी प्रकम में या तो किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से और पक्षकारों के बीच किसी अन्य प्रश्न के अवधारण की प्रतिक्षा किये बिना ऐसी स्वीकृतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आदेश या ऐसा निर्णय कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

उपर्युक्त बिवरण अनुसार दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः—

वादी का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। प्रति0 संख्या 1 बदन सिंह पुत्र जगराम वादी के वाद में वर्णित तथ्यों को इकबाल दावे में स्वीकार कर चुका है। ऐसी स्थिति में आराजी खसरा नम्बर 2530/1.08, 2451/2.75, 2452/1.68 स्थित वाके ग्राम जाटौलीथून तहसील जनूथर के प्रतिवादी संख्या 01 बदन सिंह का हिस्सा कलमजन किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2530/1.08 में वादी हिस्सा 2/3 का एवं आराजी खसरा नम्बर 2451/2.75, 2452/1.68 में हिस्सा 1/45 का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner